DIDIS
22 MAR 2018
3775
आवक क्र.

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

//आदेश//

भोपाल, दिनांक /03/2018

क्रमांक एफ 12–14/2008/सत्रह/मेडि–1 :: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 22.11.2014 द्वारा डॉ. अशोक शर्मा, तत्कालीन संचालक, स्वास्थ्य सेवाऐं, भोपाल के विरूद्ध लोकायुक्त जांच प्रकरण कमांक 106/08 – वर्ष 2007–08 में दीनदयाल चलित अस्पताल योजना के अंतर्गत वित्तीय अनियमितताओं के आरोप प्रमाणित पाये जाने के कारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण तथा अपील) नियम–1966 के नियम–10(9) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से "सेवा से पदच्युत" करते हुये, शासकीय धन के अपव्यय कर शासन को पहुंचाई गई आर्थिक हानि की राशि **रूपये 8,58,42,035/– (आठ करोड़, अन्ठावन लाख, बयालिस हजार पैंतीस)** की वसूली भी आदेशित की गई है ।

2/– अतः उपर्युक्तानुसार शासन को पहुंचाई गई आर्थिक हानि की राशि **रूपये 8,58,42,035/–** (आठ करोड़, **अन्ठावन लाख, बयालिस हजार पैंतीस)** की वसूली हेतु राज्य शासन एतदद्वारा डॉ. अशोक शर्मा, तत्कालीन संचालक (पदच्युत), स्वास्थ्य सेवाऐं, भोपाल के स्वयं, उनकी पत्नि तथा पुत्र–पुत्रियों के नाम पर संपूर्ण भारत में स्थित उनकी चल–अचल संपत्तियों से उक्त राशि की वसूली के लिए आर.आर.सी. जारी करने की स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त कार्यवाही के लिए कलेक्टर, जिला–भोपाल को अधिकृत करता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

हस्ता/-

(अजय नथानियल)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0क्रमांक एफ 12–14/2008/सत्रह/मेडि–1 **भोपाल, दिनांक** 21/**03/2018**

प्रतिलिपि :–

1– विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी/मान. राज्य मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र. भोपाल।
2– निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल।

1– महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
2– आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाऐं, म0प्र0 भोपाल ।
3– आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल म0प्र0।
4– कलेक्टर, जिला–भोपाल की ओर राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 22.11.2014 की प्रति सहित।
5– विधि सलाहकार–2, लोकायुक्त कार्यालय म.प्र. भोपाल ।
6– सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर ।
7– संचालक, जनसम्पर्क, म0प्र0 भोपाल ।
8– समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश ।
9– उप संचालक, (विज्ञप्त) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, भोपाल की ओर आदेश बेबसाइड पर प्रदर्शित हेतु।
10– डॉ. अशोक शर्मा, तत्कालीन संचालक (पदच्युत), स्वास्थ्य सेवाऐं, भोपाल । द्वारा–आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाऐं, भोपाल को प्रेषित कर लेख है कि आदेश तामील कराकर प्राप्ति की अभिस्वीकृति शीघ्र भेजने का कष्ट करें

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

11– गार्ड फाईल ।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग